

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 2020/00039

1. चरणजीत कौर पत्नि गुरचरण सिंह जाति जटसिक्ख निवासी चक 2 एएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज।

प्रार्थीया

बनाम

1. रवि कुमार पुत्र नरसीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 बीडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट
सपठित धारा 151 सीपीसी

:- निर्णय :-

दिनांक :-

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम चक 2 एएम का मुरब्बा नंबर 195/55 का किला नंबर 13 में 10 बिस्वा, किला नंबर 14 ता 25 सालम कुल 12.10 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुरब्बा नंबर 195/54 के किला नंबर 21 से 25 में कटानी रास्ता दर्ज है। इस रास्ते तक पहुंचने के लिए प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नंबर 195/55 के किला नंबर 5 और 6 में दो-दो बिस्वा रास्ते की मांग की गई है।

किला नंबर 5 और 6 के खातेदार रवि कुमार द्वारा जवाब पेश किया गया है कि यदि अप्रार्थी को रास्ते के बदले क्षतिपूर्ति के तौर पर भूमि दिलवाने के आदेश दिए जाते हैं तो वह रास्ता देने के लिए सहमत हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति जताई गई और रास्ते के बदले किला नंबर 13 में 4 बिस्वा भूमि प्रतिकर के तौर अप्रार्थी को प्रदान करने पर भी सहमति जाहिर की।

इसलिए अदालत द्वारा धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया जाता है कि मुरब्बा नंबर 195/55 के किला नंबर 5 और 6 की पूर्वी हद के साथ-साथ 2 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज किया जाए और इसी मुरब्बे के किल्ला नंबर 13 में रवि कुमार की जमीन के साथ चिपकी हुई चरणजीत कौर की जमीन में से 4 बिस्वा भूमि रवि कुमार के नाम दर्ज की जाए।

तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में उक्त फैसले के मुताबिक अमल बरामद करवाएं और नक्शे में तरमीम करवाएं।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)



